



173

302

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय बोर्ड आफ रेवेन्यु ग्वालियर संभाग
भोपाल मध्यप्रदेश

अभिभावक श्री पी. एन. परमानंद
द्वारा आज दिनांक 13/12/19
को पेश।

अपील - 0381/2019/सीहोर/ भूरा
अपील क्र०— /19

आपकी कोर्ट
26-2-19 को पेश।
26-2-19

अभिभावक
सुन्दरबाई पत्नि कन्हैयालाल मृत वारिसान-
1-सोरम बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि घीसूलाल
निवासी अतरालिया तह0 इछावर जिला सीहोर म0प्र0
2-उकॉरसिह आ0कन्हैयालाल आयु 55साल
3-कल्लु आ0कन्हैयालाल आयु 50साल
4-बाबूलाल आ0कन्हैयालाल आयु 50साल
सभी जाति माली निवासी गण मोहल्ला लंगापुआ आष्टा
जिला सीहोर म0प्र0—अपीलार्थी गण

विरुद्ध

- 1-छोटेलाल आ. नन्नुलाल आयु 60साल
 - 2-माधोसिह आ0नन्नुलाल आयु 58साल
 - 3-कैलाश आ0नन्नुलाल आयु 40साल
 - 4-लाडसिह आ0नन्नुलाल आयु 45साल
- सभी निवासी मो0लंगापुआ आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
- 5-दीपाबाई पुत्री नन्नुलाल पत्नि किशनलाल
निवासी पोलायाकलां तह0जिला शाजापुर म0प्र0
 - 6-प्रेमबाई पुत्री नन्नुलाल पत्नि रमेशचद
निवासी ग्राम सिददीकगजं तह0जावर जिला
सीहोर म0प्र0—रेस्पाडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 44 म0प्र0भूरा0संहिता अपील क्र0598/2017-18

मे पारित आदेश दिनांक 15-11-18 पारित अपर आयुक्त महोदय

भोपाल के विरुद्ध।

—2

(Handwritten signature)

(Signature)

P. M. Parnal
Advocate
SPTA Dist. Sehore (M. P.)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील / 0321 / 2019 / सीओर / भू-रक्ष


न्याय तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिलेखकारों
आदि के हस्ताक्षर

29-3-2019

आवेदक अधिवक्ता श्री पी0एन0परमल उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।


अध्यक्ष


A.S.R